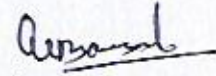


वैकल्पिक भूमि नहीं होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुजफ्फरनगर— सहारनपुर मार्ग (एस0एच0-59) के कि0मी0 16.00 से कि0मी0 58.85 (प्रस्तावित किमी0-10.10 से किमी0-52.950) तक में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु वन प्रभाग सहारनपुर के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई संरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल— 30.30 हे0 की मांग न्यूनतम है एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

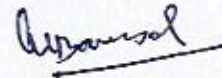


(ए0के0 बंसल)

परियोजना महाप्रबन्धक (पश्चिम),
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा),
क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर।

वैकल्पिक भूमि नहीं होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मुजफ्फरनगर- सहारनपुर मार्ग (एस0एच0-59) के कि0मी0 05.90 से कि0मी0 16.00 (प्रस्तावित किमी0 0.00 से किमी0 10.10) तक में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु वन प्रभाग मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई संरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल- 30.30 हे0 की मांग न्यूनतम है एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।



(ए0के0 बंसल)

परियोजना महाप्रबन्धक (पश्चिम),
उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा),
क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर।